प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

~~ग्राम~~ नगर पंचायत का नाम ऊखीमठ
तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ऊखीमठ नगर पंचायत पे0 यो0 परियोजना के निर्माण हेतु (—— हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 0.22 हे0) अर्थात कुल 0.22 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल नि0 रुद्रप्रयाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ~~ग्राम~~ नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा दिनांक 22/11/2017 को सम्पन्न ~~ग्राम सभा~~ / ~~ग्राम~~ नगर पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ~~ग्राम~~ नगर ऊखीमठ के ~~ग्राम~~ नगरवासियों को उक्त वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ
जिला-रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

अध्यक्ष
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद-रुद्रप्रयाग
ह0 / –
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनांक २४।११।२०१९....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगर
ग्राम पंचायत ....ऊखीमठ..............

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | पूजा देवी वार्ड-1 गांधीनगर | पूजा देवी<br>श्रीमती पूजा देवी<br>सभासद वार्ड नं०1<br>गांधीनगर, नं० पं० ऊखीमठ |
| | सरला देवी वार्ड-2 उदयपुर | सरला देवी<br>श्रीमती सरलादेवी<br>सभासद उदयपुर वार्ड-नं०2<br>नगर पंचायत ऊखीमठ<br>जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) |
| | प्रदीप सिंह - वार्ड 03 ओंकारेश्वर | (signature)<br>(प्रदीप सिंह)<br>सभासद ओंकारेश्वर वार्ड-3<br>नगर पंचायत-ऊखीमठ<br>जनपद-रुद्रप्रयाग |
| | रवीन्द्र सिंह, वार्ड-04 भटेश्वर | (signature)<br>भटेश्वर वार्ड नं०-4<br>नगर पचायत-ऊखीमठ<br>जिला-रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) |

(signature)
अध्यक्ष
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद-रुद्रप्रयाग

ह0 / —
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ऊखीमठ नगर पंचायत पे0यो0 ———— (——हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.88 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.88 हे0 वन भूमि ) का उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऊखीमठ) की दिनांक 28/11/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वरुण अग्रवाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री वरुण अग्रवाल, उपजिलाधिकारी ———— ऊखीमठ ———— अध्यक्ष [signature]
2– श्री महिपाल सिंह सिरोही उप प्रभागीय वनाधिकारी———— रुद्रप्रयाग ———— सदस्य [signature]
3– श्री संजीव कुमार पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी ऊखीमठ ———— सदस्य/सचिव [signature]
4– श्री विजय सिंह ~~बी0डी0सी0~~ अध्यक्ष नगर पंचायत क्षेत्र ———— ऊखीमठ ———— ~~सदस्य~~ अध्यक्ष [signature]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

ऊखीमठ नगर पंचायत पे0यो0 ———— परियोजना हेतु 0.88 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री महिपाल सिंह सिरोही द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम रुद्रप्रयाग परियोजना के निर्माण हेतु 0.88 हे0 वन भूमि उ.प्र.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ऊखीमठ
तहसील– ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, महोदय रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ऊखीमठ
तहसील– ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

अध्यक्ष
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद–रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

नगर पंचायत पे०यो०

जनपद–....रुद्रप्रयाग.......के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित ऊखीमठ परियोजना के निर्माण हेतु 0.82 है0 वन भूमि जल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ऊखीमठ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित ऊखीमठ नगर पंचायत पे0यो0 परियोजना के निर्माण हेतु 0.66 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पे0नि0 रुद्रप्रयाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (**linear**) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (**Primitive Tribal Groups**) व आदिकालीन कृषि समुदाय (**Pre Agriculural Tribal Groups**) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग